GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Office of
Director School Education

EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax: 91(0172)-2701347
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17-बी चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91 (0172) 2701333 फैक्स 91 (0172) 2701347
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश कमांक 25/32-06 PS(2) दिनांक, चण्डीगढ़ 29.06.2010

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए S.D.Sr.Sec.School, Cheeka (Kaithal) को कक्षा पहली से 12वीं तक केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश कमांक 25/32-06 PS(2) दिनांक 10-10-07 में निहित शर्तों तथा समय--समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं0 *893/KTL/12th/BOSE/2007* है।

मौहम्मद शाईन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन कमांक सम दिनांक, चण्डीगढ़ 29.6.2010

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1 प्रबन्धक समिति Sanatan Dharam Sabha Bhawani Mandir,Cheeka Mandi (Kaithal).
2 सचिव केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र--2, कम्युनिटी सैन्टर, प्रीत विहार, दिल्ली।
3 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4 जिला शिक्षा अधिकारी, Kaithal.
5 **Principal, S.D.Sr.Sec.School, Cheeka (Kaithal)**
6 टैक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।

Principal
S.D. Sr. Sec. School
Cheeka (Kaithal)

अधीक्षक पी.एस.
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल

आदी क्रमाक लेखा -2 /99----6386-6412---- दिनाक: 30/8/99

एस0डी0 पब्लिक मिडल स्कूल भवानी मन्दिर चीका को मिडल स्तर की स्थाई मान्यता 1-4-99 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रांट आदि की मांग नही करेंगे ।
2. शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेंगे ।
3. विद्यालय [illegible] हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की शर्तों को पूर्ण रूप से पालन करेगा ।
4. अध्यापकों का वेतन क्रास चैक द्वारा देगा ।
5. काशन फन्ड मनी तीन किस्तों में जमा करवा दी [illegible] जाएं ।
6. विद्यालय का आडिट समय-2 [illegible] करवाया जावे तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे जाने वाली निधियां समय पर भेजी जाये ।
7. विद्यालय के [illegible] निरीक्षण के समय किसी भी अनियमितता पाये जाने पर नोटिस देकर मान्यता रदद की जा सकती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
कैथल।

पृष्टांक क्रमांक दिनांक:-----------

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निदेशक सैकेन्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।
3. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी ,गुहला-कैथल ।
4. सचिव हरियाणा शिक्षा बोर्ड ,भिवानी ।
5. प्रबन्धक एस0डी0पब्लिक हाई स्कूल ,चीका ।
6. मुख्याध्यापक एस0डी0 पब्लिक हाई स्कूल ,चीका ।
7. कार्यालय शाखा जीन्द।

Principal
S.D. Sr. Sec. School
Cheeka (Kaithal)

जिला शिक्षा अधिकारी ,
कैथल

प्रधान
सनातन धर्म सभा
श्री भवानी मन्दिर, चीका